

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना  
सं० 27/2022-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 2022

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 के उप-नियम (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (4क) के उपबंध गुजरात राज्य के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

[फा.स. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

(आलोक कुमार)  
निदेशक